उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
प्रेस नोट
दिनांक 11 मई, 2023

उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021 के संबंध में सोशल मीडिया पर अधोहस्ताक्षरी के नाम एवं हस्ताक्षरयुक्त भ्रामक एवं कूट रचित विज्ञप्ति संख्या 210/E-4/DR(JE)/2021-22 दिनांक 10 मई, 2023 प्रसारित की गयी है। उक्त विज्ञप्ति में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

"एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियन्ता सेवा परीक्षा–2021 का अधियाचन सरकार के पास वापस चला गया था। जिसके संबंध में राज्य सरकार द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वर्तमान समय में राज्य में वित्त की कमी होने के कारण समस्त पदों को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया है।

भविष्य में राज्य सरकार के कोष में वित्त आने के उपरान्त इन पदों पर विचार किया जायेगा।"

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति कूट रचित एवं भ्रामक है तथा वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। अतः उक्त विज्ञप्ति का खण्डन किया जाता है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों में सनसनी पैदा करने हेतु प्रसारित उक्त कूट रचित एवं भ्रामक विज्ञप्ति को बनाने एवं प्रसारित करने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करने एवं उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।